500 गीगावॉट के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए मप्र प्रतिबद्ध

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि मप्र वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मप्र. आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के माध्यम से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा कर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मेट्रो से यात्रा की. 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित विद्युत से भी कम स्थापित किया. इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ तथा इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. वहीं 1,500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रूपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है और इससे भारतीय रेलवे को 8 राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है.

मप्र के ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का प्रजेंटेशन

नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मप्र ने स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना का प्रभावी प्रेजेंटेशन दिया. सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी विशेष रूप से मौजूद थे.

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में 14900 मेगावाट के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 278 मेगावॉट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया. इसके साथ ही सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत लगभग 14,900 मेगावॉट क्षमता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसानो की उल्लेखनीय भागीदारी रही है.

12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा में हुई अद्भुत वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मप्र की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावॉट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है. पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण तथा बायोमास नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को नई दिशा दी है.

हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण करेगी सरकार

- उच्च स्तरीय समिति की गई गठित
- एक माह में प्रतिवेदन सौंपेगी समिति

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें और अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं जनहितकारी बनाने के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. समिति एक माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी.

सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग सदस्य होंगे. सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सदस्य-सचिव नामित किया गया है.

36 घंटे में खुलासा : रंजिश बनी मौत की वजह

- सिंदुरकिया हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

रतलाम। बड़ावदा थाना पुलिस ने सिंदुरकिया में हुए अंधे कत्ल का महज 36 घंटे में खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छह माह पुराने छेड़छाड़ के मामले की रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया।

पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को हाटपिपलिया चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सिंदुरकिया स्थित मिडिल स्कूल के पास बापूसिंह की पड़त भूमि पर एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान शहनवाज उर्फ साहिल पिता शहजाद शाह निवासी सिंदुरकिया के रूप में की। घटनास्थल के निरीक्षण में धारदार हथियार से हत्या किए जाने के संकेत मिले, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराकर हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय और एसडीओपी आलोट पल्लवी गौर के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया।

आज फील्ड पर होगी पूरी प्रदेश सरकार

मंत्रालय से जिला स्तर के अधिकारी जनता से होंगे रूबरू

- जन-विश्वास अभियान का छिंदवाड़ा में सीएम करेंगे शुभारंभ
- करेंगे सीधा संवाद, जानेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. प्रदेश में जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ शुक्रवार 7 अगस्त से होगा. शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी अब से प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे. इस दौरान क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे उनके साथ जुड़ेंगे और शिकायतों एवं समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण भी करेंगे. इतना ही नहीं फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक भी लेंगे, जिससे कि योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जा सके. मुख्यमंत्री अभियान के तहत छिंदवाड़ा में आम लोगों से रूबरू होंगे और अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे.

अभियान में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन संपूर्ण प्रदेश में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी. यह दिन केवल फील्ड भ्रमण को समर्पित रहेगा. भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड भ्रमण पर रहेंगे और अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे. भ्रमण से एक सप्ताह पूर्व ही उस क्षेत्र के सी.एम. हेल्पलाईन, जन-सुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा, भ्रमण से पूर्व ही की जाएगी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा. निराकरण से शेष रहे प्रकरणों एवं भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जाएगा.

हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीआईएल खारिज

अपराध दर्ज होने के साथ ही विस्फोटक मशीनरी हो चुकी है जब्त

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 6 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें खंडवा के ग्राम खैरला में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किये जाने को चुनौती दी गई थी.

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ को शासन की ओर से बताया गया कि पूर्व में ही अनावेदक के खिलाफ वन विभाग ने अपराध दर्ज कर मशीनरी जब्त करने की कार्रवाई की है. उक्त जवाब के बाद न्यायालय ने कहा कि जब पहले ही कार्रवाई हो चुकी है तो आगे की कार्रवाई भी गुण दोष और कानून के तहत होगी. न्यायालय ने उक्त मत के साथ दायर पीआईएल खारिज कर दी. दरअसल यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत खैरला के सरपंच नंदराम की ओर से दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था अनावेदक दिनेश शर्मा ज्यादा क्षमता वाले विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है.

गौधाम के कार्यों की नियमित समीक्षा करें : शुक्ल

- समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिए निर्देश

भोपाल, 6 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य तथा हिनौती गौधाम के विकास कार्यों की समीक्षा की.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक गौशालाएं निराश्रित और बीमार गौवंश को आश्रय देने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती का संदेश दे रही हैं. बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में प्राकृतिक खेती का सफल माडल विकसित किया गया है. हिनौती गौधाम में भी प्राकृतिक खेती के माडल का विकास करें. गौ अभ्यारण्य और गौधाम को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और शोध का केन्द्र बनाएं. हम सबको स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती को ही अपनाना होगा. जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक खेती ही अंतिम उपाय है. बसामन मामा मोड़ से गौ अभ्यारण्य तक सड़क के दोनों ओर 30 अगस्त को पीपल के पौधे रोपित किए जाएंगे.

> बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य तथा हिनौती गौधाम की प्रदेश भर में चर्चा हो रही है. इनके विकास से जुड़े कार्यों को तय समय-सीमा में कराएं. एसडीएम सिरमौर निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें तथा निर्माण एजेंसियों को कार्य के मूल्यांकन के अनुसार भुगतान कराएं.

पुणे-जबलपुर ट्रेन खंडवा में भी रुकेगी

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुणे-जबलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का खंडवा रेलवे स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत हो गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि सांसद पाटिल लंबे समय से इस ट्रेन के खंडवा में स्टॉपेज की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से कई बार मुलाकात की तथा पत्राचार भी किया था। अब रेल मंत्रालय ने इस मांग को मंजूरी दे दी है। रेलवे विभाग जल्द ही ट्रेन के खंडवा स्टेशन पर ठहराव की तिथि घोषित करेगा।स्टॉपेज शुरू होने से खंडवा के यात्रियों को पुणे और जबलपुर

के बीच यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और इलाज के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन रविवार रात करीब 7.45 बजे खंडवा से रवाना होकर सोमवार सुबह 6.25 बजे पुणे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सोमवार सुबह 11.20 बजे पुणे से चलकर रात करीब 10 बजे खंडवा पहुंचेगी।

सुरक्षा में चूक

एयरफोर्स स्टेशन के पास पेट्रोल बम फेंका

- बम फेंकने वाला सिरफिरा हुआ गिरफ्तार
- आरोपी आंध्र प्रदेश के कॉलेज में है असिस्टेंट प्रोफेसर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 6 अगस्त. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मंगलवार रात एक बड़ी सुरक्षा चुनौती सामने आई, जिसे वायुसेना के सतर्क जवानों ने तुरंत नाकाम कर दिया.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला एक युवक बियर की दो बोतलों में पेट्रोल भरकर एयरफोर्स स्टेशन के गेट के पास ले आया और उनमें आग लगाकर फेंक दिया. पेट्रोल बम गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन वायुसेना के जवानों ने बिना कोई देर किए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित धनापुर गांव के निवासी के रूप में हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी आंध्र प्रदेश के तिरुवरु स्थित एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वह आंध्र प्रदेश से तीन दिन का अवकाश लेकर ग्वालियर आया था और इस दौरान उसने इस अजीबोगरीब और खतरनाक हरकत को अंजाम दिया.खुफिया एजेंसियां सक्रिय, मानसिक आरोग्यशाला भेजा गया

आरोपी

घटना की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफेंस इंटेलिजेंस और स्थानीय खुफिया तंत्र तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए. एजेंसियों ने आरोपी से मैराथन पूछताछ की.

कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, महापौर का पलटवार-'बिना पैसा जमा किए नहीं खुलेंगे फ्लैट'

- दोनों पक्षों ने प्रेसवार्ता कर एक-दूसरे पर निशाना साधा
- डोसी आवास के 208 फ्लैटों की सीलिंग पर सियासत

नव भारत न्यूज

रतलाम। डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 208 फ्लैटों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई अब प्रशासनिक मुद्दे से आगे बढ़कर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गई है। गुरुवार को कांग्रेस और नगर निगम ने अलग-अलग प्रेसवार्ता कर एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाए।

कांग्रेस ने गरीबों को बेघर करने, वादाखिलाफी और कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर इस मुद्दे को जनआंदोलन बनाने के संकेत दिए, वहीं महापौर प्रहलाद पटेल ने स्पष्ट किया कि नियमों से कोई समझौता नहीं होगा और हितग्राही अंशदान जमा किए बिना फ्लैटों के ताले नहीं खोले जाएंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शांतिलाल वर्मा और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने मार्जिन मनी जमा कराकर बैंक से ऋण दिलाने का वादा किया था, लेकिन 396 में से केवल 166 हितग्राहियों को ही ऋण मिल पाया। शेष 208 परिवारों को न ऋण मिला और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

कांग्रेस : वादा निभाने में निगम विफल,गरीबों को बना दिया अतिक्रमणकारी

इन्हीं परिवारों को पहले विधिवत फ्लैटों का आवंटन और कब्जा दिया गया, लेकिन अब उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर सामान बाहर फेंका और फ्लैट सील किए। कांग्रेस ने कहा कि यदि सिबिल स्कोर के कारण ऋण नहीं मिल रहा था तो नगर निगम को बैंक के उच्च अधिकारियों से समन्वय कर समाधान निकालना चाहिए था। प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, मयंक जाट, सलीम सब्जीवाला, साबीर एहमद, प्रदीप रौठार मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने 20 प्रतिशत रिपोर्ट की जांच के दिए आदेश

डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट की गलती

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 6 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट के जरिए गलत नाम दर्ज होने के मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने भोपाल स्थित राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पिछले पांच वर्षों में तैयार डीएनए और अन्य वैज्ञानिक रिपोर्ट में से 20 प्रतिशत रिपोर्ट की रैंडम जांच कराने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही न्यायालय ने मुख्य सचिव को सात दिन के भीतर प्रदेश के बाहर के तीन वैज्ञानिक अधिकारियों की स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. समिति छह महीने में जांच पूरी करेगी. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान एफएसएल की प्रभारी निदेशक डॉ. हर्षा सिंह न्यायालय में

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं. उन्होंने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट में गलत नाम दर्ज होना कट पेस्ट की गलती के कारण हुआ हो सकता है. इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यदि एक मामले में ऐसी त्रुटि सामने आई है तो यह जांचना जरूरी है कि अन्य रिपोर्ट में भी ऐसी गलती तो नहीं हुई. दरअसल, यह मामला नर्मदापुरम जिले के साकेत इटारसी निवासी पंकज कुमार बिंदोलिया की आपराधिक अपील से जुड़ा है. पंकज ने पॉक्सो विशेष न्यायालय द्वारा 16 मार्च 2026 को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है. सुनवाई में सामने आया कि 31 दिसंबर 2024 की एफएसएल रिपोर्ट में गलत व्यक्ति का नाम दर्ज था. कोर्ट ने एफएसएल निदेशक पद पर फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जैसे संबंधित विषयों के विशेषज्ञ की नियुक्ति पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं.

अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा

छात्राओं को बनाया कानून और साइबर सुरक्षा का प्रहरी

नवभारत न्यूज

आलीराजपुर, 6 अगस्त. जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मुहिम एक साथ तेज हो गई है।

एक ओर अलीराजपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पिछले एक माह में 31 स्थायी वारंट तामील किए, ईनामी और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराधियों पर शिकंजा कसा, वहीं दूसरी ओर जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम के तहत छात्राओं को संविधान, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था की जानकारी देकर जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने बताया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान एक माह में 31 स्थायी वारंट तामील किए गए, जिनमें अलीराजपुर अनुभाग के 7 और जोबट अनुभाग के 24 वारंट शामिल हैं। वर्षों से फरार वारंटियों की गिरफ्तारी से लंबित न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

विशेष अभियान के दौरान जोबट क्षेत्र में डकैती की तैयारी कर रहे तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ?5 हजार का ईनामी आरोपी राहुल भी शामिल है, जो पूर्व से हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में फरार चल रहा था। इसके अलावा वर्षों से फरार दो स्थायी वारंटियों और एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

इधर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित 卐जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम卐 में पीएम श्री कन्या शाला की छात्राओं को संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम,

चेतावनी रिकॉर्ड छिपाने पर अवमानना और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी

बिलौआ अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट हुआ सख्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 6 अगस्त . बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन मामले को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन विभाग के अधिकारियों से पिछले दो माह का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि रिकॉर्ड छिपाने या गलत जानकारी देने की बात सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी से बचने के लिए यदि खनिज से भरे ट्रक अनाधिकृत रास्तों से निकलते पाए जाते हैं तो इसकी पूरी जवाबदेही ग्वालियर कलेक्टर की होगी. कोर्ट ने प्रशासन को अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

1 खनन अधिकारियों से मांगा संपूर्ण ब्यौरा और रिकॉर्ड

2 अवमानना मामले में अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही

हाईकोर्ट ने दिया मौके के निरीक्षण के आदेश

हाई कोर्ट ने मौके के निरीक्षण के भी आदेश दिए हैं. निरीक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह उसी दिन स्थल का निरीक्षण कर प्रतिबंधित और संचालित खदानों तक जाने वाले सभी मार्गों की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें. मामले की अगली सुनवाई में खनन गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज पेश किए जाएंगे. कोर्ट ने अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करने और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

डायल-112 ने 13 वर्षीय बालक को परिजन से मिलाया

खंडवा। पिपलोद थाना क्षेत्र के गोंडवाड़ी गांव में परिजन की डांट से नाराज होकर घर से निकले 13 वर्षीय बालक को डायल-112 की तत्परता से सकुशल खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गुरुवार सुबह करीब पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 को सूचना मिली कि गोंडवाड़ी गांव का एक 13 वर्षीय बालक घर से निकल गया है और काफी तलाश के बाद भी नहीं मिल रहा है।सूचना मिलते ही डायल-112 वाहन पर तैनात प्रधान आरक्षक बलदार परते एवं पायलट सरफराज खान मौके पर पहुंचे। गांव से कुछ दूरी पर बालक घूमता हुआ मिला।बालक की पहचान और सत्यापन के बाद उसे सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

बेगमगंज में सरकारी प्लॉट को लेकर खूनी संघर्ष

07 घायल हुए और दो गंभीर हैं

नवभारत न्यूज

बेगमगंज, 6 अगस्त. रायसेन जिले के बेगमगंज के खिरिया नारायण दास मोहल्ले में सरकारी आवासीय प्लॉट को लेकर दो पक्षों में लाठियां एवं धारदार हथियार चले, इसमें 7 लोग घायल हो गए. गंभीर घायल पिता, पुत्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्जकर 7 लोगों को हिरासत में लिया है.

थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि टेकरी के पीछे खिरिया नारायण दास मोहल्ले में सोहेब

बेग पिता अय्यूब बेग के घर के पास एक सरकारी प्लॉट पड़ा है. जिस पर उसका मामा शफीक बेग मरघटिया पिता फाजल बेग कब्जा करना चाह रहा था. भांजा सोहेब बेग ने आपत्ति की तो शफीक बेग मरघटिया, तौफीक बेग, मुस्कान वी. नईमा बी. ने उस पर प्राणघातक हमलाकर दिया फिर इस पक्ष के सोहेब , तारिक उनकी नाबालिग बहन भी भिड़ गए. हमले में सोहेब बेग, उसके भाई तारिक बेग एवं उनकी एक नाबालिग बहन को गंभीर चोटें आई है. दूसरी ओर सोहेब बेग एवं तारिक बेग के द्वारा किए गए हमले में शफीक बेग मरघटिया एवं उसके पुत्र तौफीक बेग को गंभीर चोट आने से जिला अस्पताल रायसेन रेफर किया गया है. इसमें उसकी पत्नी, पुत्री भी घायल हुई हैं. पुलिस ने एक पक्ष के मुश्कान वी. एवं नईमा वी को हिरासत में लिया है. दूसरे पक्ष के सोहेब बेग एवं तारिक बेग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है. दोनों पक्षों पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.